(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टैलैक्सों, टेलीप्रिंटरों, आदि की संख्या कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) इलैक्ट्रानिकी विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) आदि जैसे उपबन्धों को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित किया जा रहा है । राजभाषा अधिनियम नियमावली तथा वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित प्रावधानों के संबंध में इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की राजभाषा समिति तथा संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षणों के जरिए भी समीक्षा की जाती है ।

(ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग का अधिकांश कार्य इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में डिजाइन अनुसंधान तथा विकास कार्य करना तथा इलैक्ट्रानिक्स और सम्बद्ध क्षेत्रों में इनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है । तथापि, कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन प्रभागों से बहुत सी फाइलों मे हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है । जहां तक अन्य प्रभागों में किए जाने वाले अधिकांशतः तकनीकी स्वरूप के मामलों का संबंध है, उन प्रभागों की कुछ फाइलों में सीमित मात्रा में हिन्दी में कार्य किया जा रहा है ।

(ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं अर्थात् (1) सी एम सी लिमिटेड (2) सेमीकंडक्टर काम्पलैक्स लिमिटेड तथा (3) ई टी एण्ड टी लिमिटेड है । ये संगठन न केवल अपने दिन प्रति दिन के काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग मे दिलचस्पी लेते हैं बल्कि इलैक्ट्रानिक कार्यालय मशीनों में द्विभाषी तथा बहुभाषी क्षमता विकसित करने की दिशा में भी प्रयास करते हैं । साथ ही ये संगठन अन्य संगठनों को हिन्दी आदि में इलैक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन करने में सहायता भी प्रदान करते हैं ।

(घ) इलैक्ट्रानिकी विभाग के पास 3 टैलैक्स/दूरमुद्रक हैं, जो अंग्रेजी में हैं, 553 कम्प्यूटर हैं, जिनमें द्विभाषी रूप में कार्य करने की क्षमता है तथा लगभग 40 वैयक्तिक कम्प्यूटर हैं, जो अंग्रेजी में हैं ।

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

1077. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलैक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिन्दी सलाहकार

समिति की बैठकों में किया जाता है। तथापि, हर संभव प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक विभागों में इन प्रावधानों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ देश भर में व्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं/वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क करना पडता है।

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पत्र व्यवहार सामान्य फाइलों से किया जाता है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक लिमिटेड (सी० ई०एल०) और नेशनल रिसर्च एंड डिवलेपमेन्ट कार्पोरेशन (एन० आर० डी० सी०) हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इन संगठनों द्वारा पालन किया जा रहा है।

(घ) इस मंत्रालय के अंतर्गत विभागों, नामत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, में उपलब्ध हिन्दी, अंग्रेजी व द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों, टेलीप्रिंटरों आदि से संबंधित सूचना इस प्रकार है :–

	हिन्दी	अंग्रेजी	द्विभाषी
1. कम्प्यूटर	शून्य	71	1
2. टेलेक्स मशीनें	शून्य	3	शून्य
3. इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर	शून्य	41	7
4. टेलीप्रिंटर	शून्य	शून्य	शून्य

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

1078. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यन्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोडकर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है।

(ख) शाखा सचिवालय में प्रशासनिक मामलों से संबंधित फाइलों में चयनात्मक आधार पर टिप्पणी तथा प्रारूपण संबंधी कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

(ग) इस विभाग के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

(घ) इस विभाग के शाखा सचिवालय में उपयोग के लिए एक बहुभाषी शब्द संसाधक "लिपि" विद्यमान है।